page-1 to 3

DATE: 15/10/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POL. SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLTICS)

CH: 10 (GOVERNOR)

LECTURE NO. 11

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

राज्यपाल से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य

* राज्यपाल को 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रु०) प्रति माह वेतन मिलता है।

* राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है।

* राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है।

* राज्यपाल राज्य के विधानसभा का विघटन कर सकता है तथा राज्यविधानसभा सत्र को आहूत कर सकता है या सत्र का अवसान कर सकता है।

* राज्यपाल सामान्य निर्वाचन के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में एक या दोनों सदनों को सम्बोधित कर सकता है।

* राज्यपाल विधानमंडल के विश्रान्तकाल अर्थात् जब सत्र नहीं चल रहा हो, तो अध्यादेश जारी कर सकता है और ऐसे अध्यादेश का छह माह तक कानूनी प्रभाव रहता है।

Scanned with CamScanner

* राज्य विधानमंडल यदि द्वी सदनीय हो तो राज्यपाल विधान परिषद में विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आन्दोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान हो।

* राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल - भारतीय समुदाय को विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व न प्राप्त होने की स्थिति में विधानसभा में इस समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है।

* जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों सम्बंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दण्ड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है।

* राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन (356 धारा का प्रयोग) लागू करने की सिफारिश तब कर सकता, जब उसे समाधान हो जाय कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

* राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सम्मति के लिए आरक्षित कर सकता है।

* संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।

Scanned with CamScanner

* राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद् की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है, जैसे राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर।

* राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है, न कि निर्वाचित।

* राज्यपाल पद से सम्बंधित उत्पन्न विवाद को दूर करने हेतु समय-समय पर अनेक आयोग एवं समितियों के द्वारा सिफारिशें की गयी, उनमें प्रमुख है— प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) एवं सरकारिया आयोग (1983).

* राज्यपाल को पद से हटाने सम्बंधित प्रावधान संविधान में नहीं है।

* राज्यपाल के स्थानान्तरण सम्बंधी, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी स्थानान्तरण करने की परम्परा बन गई।

Scanned with CamScanner